न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 246/2011

वादी :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा सा. बांगड़ नगर अन्डेरी देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तेजा पुत्र लाडू
2. अमरा पुत्र हजारी
3. हुकमा पुत्र हजारी
4. सुजा पुत्र धना
5. छोटूराम पुत्र भीवाराम
6. गोकल पुत्र लादू
7. नारायण पुत्र लादू
8. पारी पुत्री बगता
9. छोटी पुत्री बगता
10. मथिया पुत्र बगता
11. उँकार पुत्र बगता
12. कचरू पुत्र बगता
13. सुगेनी बेवा बगता
    जातियान सभी-गुर्जर
    निवासीगण-निम्बेटी (रास-II)
    तह0-जैतारण, (जिला-पाली)
14. तहसीलदार, जैतारण
    तहसील-जैतारण जिला -पाली

राजस्व वाद बाबत् तकारामा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.21/10/2011

उपस्थित: 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 13/01/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकारामा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं व इस कम्पनी का एक सीमेन्ट का प्लांट रास, तहसील-जैतारण में कार्यरत व उत्पादनरत हैं। वादी कम्पनी की ओर से कम्पनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा को यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद कार्यवाही करने हेतु कम्पनी द्वारा वादी को अधिकृत कर रखा हैं। इस बाबत् कम्पनी का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार पत्र की फोटो प्रति वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3183 रकबा 32-00 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 3204 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-2 कुल रकबा 40-08 बीघा किस्म बारानी दोयम हैं, जिसमें वादी कम्पनी 89919/218160 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है वादी खसरा नम्बर 3183 रकबा 32-00 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 3204 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-2 कुल रकबा 40-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में से 89919/218160 हिस्से की भूमि यानि 16 बीघा 13

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का 89919/218160 हिस्से पर रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम ही हुई नहीं हैं। खसरा नम्बर 3183 व खसरा नम्बर 3204 की भूमि जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की है जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि वादी खसरा नम्बर 3183 व खसरा नम्बर 3204 की भूमि में 89919/218160 हिस्से की भूमि यानि 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त है व वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 को मौके के कब्जे, काश्त, हिस्से एवं खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की नियत सही नहीं होने से उन्होनें बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 04.09.2011 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी कम्पनी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट्स् के तकासमा करवाने का अधिकारी है, इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं व वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी सं. 14 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नही जानती है, इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिक या फौत होने की दिशा मे वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनाय दावा दिनांक 04.09.2011 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया, धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वकील वादी ने वाद-पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रति0 सं0 2, 3, 5, 8 से 12 व 13 की ओर से दिनांक 21/11/11 को श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, जिन्हें लगातार जबाबदावा पेश करने अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी विफल रहने से जबाबदावा दिनांक 13/11/14 को बन्द किया गया। प्रति0 सं0 4, 6 व 7 की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु दिनांक 21/11/11 से लगातार अवसर दिये जाने पर भी विफल रहने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से वकालतनामा का अवसर दिनांक 13/11/14 को समाप्त किया गया तथा बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 14 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21/11/11 को की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, जिसका मुख्य परीक्षण करवाया जाकर प्रदर्श Exp 1 जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 व नक्शा ट्रेस Exp 2 प्रदर्शित करवाये गये, सा0मि0 हैं। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3183 रकबा 32-00 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 3204 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-2 कुल रकबा 40-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के स्वयं खातेदार काश्तकार वर्तमान में दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत वाद-पत्र, शहादत वादी के शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात Exp 1 से 2 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी उक्त विवादित आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3183 रकबा 32-00 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 3204 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-2 कुल रकबा 40-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बॉउण्डस बँटवाड़ा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग कर नेखमबंदी /पत्थरगढ़ी करके खाता व लगान अलग-अलग करते हुए नजरी नक्शा बनाया जाकर भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया गया। प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 03/12/14 को पृथक से बनाया जाकर सामिल मिशल किया गया। बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया तथा प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/14/1232 दिनांक 16/12/14 को वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक /राजस्व/15/2316 दिनांक 09/01/2015 के जरिए पेश की, जिसे सा0मि0 किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान् वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08/01/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक पत्रांक/14/2316 दिनांक 09/01/2015 के संलग्न सम्पादित विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 08/01/2015 की पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वकील वादी ने बंटवाड़ा को सम्पुष्ट कर उक्त बंटवाडे की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः मौकिक विभाजन प्रस्ताव / बँट्वाड़ा रिपोर्ट दिनांक 08/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3183 रकबा 32-00 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 3204 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-2 कुल रकबा 40-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का बँट्वाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा उप महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0- मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3183 3204	16-16-00 4-08-00	बा0दो0 बा0दो0	4.20 रू0 1.10 रू0
	योग	2	21-04-00	बा0दो0	5.30 रू0
2	तेजा पुत्र लादु अमरा हुक्मा पि0 हजारी श्रवणीदेवी पत्नि सुजा श्रवणराम गिरधारीराम गोपालराम दयालराम रामचन्द्र पि0 सुजा केसी पारी पुत्रियाँ सुजा 202/384 हि0 छोटुराम पुत्र श्रीवराम कौम-गुर्जर 30/384 हि0 नारायण पुत्र लादू 91/384 कौम-गुर्जर सुगनीदेवी पत्नि बगता ऊँकारराम कचरूराम पि0 बगता पारी छोटी मतिया पुत्रियाँ बगता 61/384 हि0 कौम-गुर्जर सा0 ढ़ाणी निम्बेटी खातेदार रहन-नारायण पुत्र लादू का हि0 आरएमजीबी शाखा-रास।	3183/1 3204/1	15-04-00 4-00-00	बा0दो0 बा0दो0	3.80 रू0 1.00 रू0
	योग	2	19-04-00	बा0दो0	4.80 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 08/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनाँक 13/01/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :–

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील–मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तेजा पुत्र लाबू
2. अमरा पुत्र हजारी
3. हुक्मा पुत्र हजारी
4. सुजा पुत्र धना
5. छोटूराम पुत्र भीवाराम
6. गोकुल पुत्र लादू
7. नारायण पुत्र लादू
8. पारी पुत्री बगता
9. छोटी पुत्री बगता
10. मथिया पुत्र बगता
11. उँकार पुत्र बगता
12. कचरू पुत्र बगता
13. सुगनी बेवा बगता
    जातियान सभी–गुर्जर
    निवासीगण–निम्बेटी(रास–II)
    तह0–जैतारण,(जिला–पाली)
14. तहसीलदार, जैतारण
    तहसील–जैतारण जिला –पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:246/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रति0 सं0–1 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 08/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रास–द्वितीय, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3183 रकबा 32–00 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 3204 रकबा 8–08 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता–2 कुल रकबा 40–08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा उप महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) खातेदार।	3183 3204	16-16-00 4-08-00	बा0दो0 बा0दो0	4.20 रू0 1.10 रू0
	योग	2	**21-04-00**	बा0दो0	5.30 रू0
2	तेजा पुत्र लाबु अमरा हुक्मा पि0 हजारी श्रवणीदेवी पत्नि सुजा श्रवणराम गिरधारीराम गोपालराम दयालराम रामचन्द्र पि0 सुजा केसी पारी पुत्रियाँ	3183/1 3204/1	15-04-00 4-00-00	बा0दो0 बा0दो0	3.80 रू0 1.00 रू0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	सुजा 202/384 हि0 छोटूराम पुत्र भींवराम कौम-गुर्जर 30/384 हि0 नारायण पुत्र लादू 91/384 कौम-गुर्जर सुगनीदेवी पत्नि बगता ऊँकारराम कचरूराम पि0 बगता पारी छोटी मतिया पुत्रियाँ बगता 61/384 हि0 कौम-गुर्जर सा0 ढ़ाणी निम्बेटी खातेदार रहन-नारायण पुत्र लादू का हि0 आरएमजीबी शाखा-रास।				
	योग	2	19-04-00	बा0दो0	4.00 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 08/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	1=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	6=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः-	11-00	मिजानः-	1=00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner